जी हॉ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन एवं उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नगर निगम, लखनऊ सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा के विभिन्न मार्गो एवं स्थलों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं एवं अवैध रूप से संचालित दूध डेरियों को हटाने हेतु कैटिल कैचिंग टीमों का गठन कर प्रतिदिन पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही तथा प्राप्त शिकायतों के क्रम में दूध डेरियों को हटाने की कार्यवाही करायी जाती है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2022 को थाना-तालकटोरा क्षेत्र के अन्तर्गत दूध डेरियों को हटाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अन्तर्गत अवैध रूप से संचालित दूध डेरियों को हटाया गया एवं अन्य पशु पालकों द्वारा स्वयं ही अपनी डेरियों को हटा लिया गया है। थाना-तालकटोरा क्षेत्र के अन्तर्गत दूध डेरियॉ पुर्नस्थापित न होने पाये, इस हेतु सहायक पुलिस आयुक्त, बाजारखाला, लखनऊ एवं थानाध्यक्ष, थाना-तालकटोरा, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया। संदर्भित क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित जो दूध डेयरी स्वामी अवैध रूप से पशुओं को पालते पाये गये, उनके विरूद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत बुक सं0 258/60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 व 67 द्वारा चालान की कार्यवाही कर मा0 सक्षम न्यायालय में प्रेषित किये गये। इसके अतिरिक्त उक्त पशुपालकों द्वारा पाले गये पशुओं को अन्यत्र हटाये जाने हेतु नोटिस भेजी गयी।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन नं0-4216 (एम0बी0) ऑफ 1997 में पारित आदेश दिनांक 27.05.1999 के अनुपालन में नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित दूध डेरियों को नगर निगम सीमा के बाहर विस्थापित करने की कार्यवाही, एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

ए0के0 शर्मा
मंत्री
नगर विकास विभाग